सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2011-12

Department of Information Technology & Communication

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2.	प्रशासनिक तंत्र	4
3.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धियाँ	6
	(I) नीतिगत निर्णय	6
	(ii) राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनां –	6
	(iii) राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित चालू परियोजनाएं	11
	(iv) राज्य आयोजन मद से वित्त पोषित नवीन/ अभिनव परियोजनाएं	14
	(v) वर्ष 2011–12 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रमुख परियोजनाएं	17
	(vi) भावी परियोजनाएं	17
4.	वर्ष 2011–12 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा माह फरवरी 2012 तक की प्रगति	18
5	बजट भाषण वर्ष 2011–12 की नवीन योजनाओं का विवरण	21

1.

प्रस्तावना

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय के नाम से एक शीर्षस्थ संस्था स्थापित की। मंत्रि-मंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया ।

इसी दिशा में वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :-

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/ नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं को प्रेरित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़िकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना।

(ङ) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनु– प्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/ प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/ निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ. ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गति– विधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैंण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सुकर बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और सरकार/उद्योग/ सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनावर्या पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी., इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काउन्सिल, नास्कॉम, एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

2.

प्रशासनिक तंत्र

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

FEBRUARY 2012

DoIT&C Head

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद (कार्यरत)	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	0	1
2.	अतिरिक्त निदेशक	3	3	0
3.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)*	8	8	0
4.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)*	23	15	8
5.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
6.	सहायक लेखाधिकारी*	2	2	0
7.	प्रोग्रामर	30	9	21
8.	सहायक प्रोग्रामर	22	18	4
9.	सूचना सहायक	16	16	0
10.	लेखाकार	1	1	0
11.	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	0
12.	निजी सचिव	1	1	0
13.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
14.	निजी सहायक	1	1	0
15.	कार्यालय सहायक	1	1	0
16.	वरिष्ठ लिपिक	3	3	0
17.	कनिष्ठ लिपिक	6	2	4
18.	वाहन चालक	2	1	1
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/साईकिल सवार	9	4	5
	कुल	133	89	44

*** Including UID Project***

नोटः– अतिरिक्त निदेशक के 1 रिक्त पद के विरूद्ध 1 सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) पदस्थापित है। प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 6 सूचना सहायक पदस्थापित है।

जिला कलक्टर कार्यालय

District Head

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद (कार्यरत)	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	15	18
2.	प्रोग्रामर	33	.	33
3.	सहायक प्रोग्रामर	33	32	1

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद के विरूद्ध 3 प्रोग्रामर पदस्थापित है। सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 19 सूचना सहायक पदस्थापित है।

यू. आई. डी. प्रोजेक्ट

U.I.D. Head
3454-02-203-(01)-[01]-[03]

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद (कार्यरत)	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	ओ.एस.डी.	1	1	0
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	0
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	0	1
4.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0
5.	सीनियर प्रोजेक्ट आसिफर	2	1	1
6.	प्रोजेक्ट आफिसर	2	0	2
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	0	2
	कुल	10	4	6

3.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धियां

नीतिगत निर्णय

- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा क्षेत्र के उद्योगों को राज्य के दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के उद्देश्य से निजी व्यवसाईयों को राज्य में बी.पी.ओ केन्द्र एवं के.पी.ओ. केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये एक योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत सरकार विभिन्न वित्तीय लाभ जैसे – आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये 20 लाख रूपये तक की पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना के प्रशिक्षण के परिचालन लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जायेगा परंतु यह लागत बी.पी.ओ. केन्द्र के लिये रूपये दस हज़ार प्रति प्रशिक्षु से अधिक नहीं होगी एवं के.पी.ओ. केन्द्र के लिये रूपये बारह हज़ार पांच सौ से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में कार्यरत बी.पी.ओ/के. पी.ओ. केन्द्रों के अग्रिम विकास के लिये भी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अनुदान किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं प्रबोधन हेतु प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें वित्त एवं उद्योग विभाग के सदस्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं–

- राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर –

  भारत सरकार से एनईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत राशि रूपये 30.00 करोड़ से नये आईटी भवन में नये स्टेट डाटा सेंटर का दिनांक 15.12.2010 को उद्घाटन किया गया था । 43 रैक की क्षमता वाले इस डेटा सेन्टर की सैन (SAN) क्षमता 45 टी.

बी. (टैराबाईट) है। स्टेट डेटा सेन्टर के उपयोग हेतु विभाग द्वारा दिशा–निर्देश तैयार कर समस्त विभागों को प्रेषित कर दिये गये हैं।

▪ राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क –

राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए संचार तंत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क

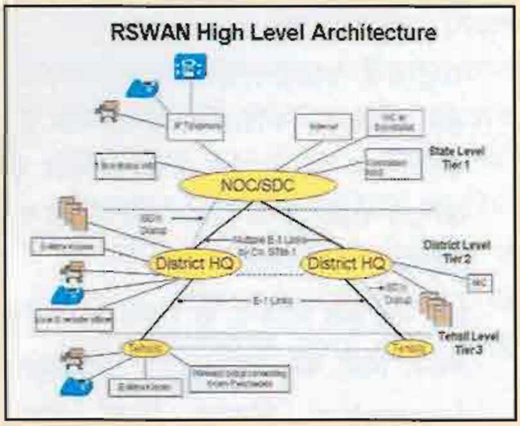

की स्थापना प्रस्तावित है।

उक्त योजना हेतु वित्तीय संसाधन का प्रमुख हिस्सा भारत सरकार से एनईजीपी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधित किया गया है। शेष भाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जावेगा।

उक्त परियोजना के अंतर्गत 32 जिला मुख्यालयों एवं 273 तहसील /ब्लाक मुख्यालयों को राज्य मुख्यालय से वर्टिकल एवं इन समस्त स्थानों पर स्थित 3381 विभिन्न सरकारी कार्यालयो को होरीज़ोन्टल रूप से जोड़ा जावेगा। नेटवर्क द्वारा डाटा, वाईस एवं विडियो संचार सुविधा उपलब्ध होगी।

इस परियोजना हेतु माह अप्रैल 2011 में भारती एयरटेल को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आगामी वर्ष में परियोजना का क्रियान्वयन कर दिया जायेगा।

▪ नागरिक सेवा केन्द्र (सीएससी) (http://cscmis.emitra.gov.in)–

ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागो एवं निजी क्षेत्र की सूचनाऐं तथा सेवायें सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की एनइजीपी के तहत सीएससी परियोजना लागू की गई। परियोजना के तहत राज्य में 6626 सीएससी केन्द्र स्थापित किये जाने हैं जिसमें से 27.02.2012 तक 2618 केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये है।

यह कार्य मै. सी.एम.एस. एवं मै. जूम लि. को खुली निविदाओ के माध्यम से आवंटित किया गया था। मै. सी.एम.एस. द्वारा अजमेर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर संभाग में क्रियान्वित किया जा रहा है। बीकानेर, भरतपुर एवं जोधपुर संभाग में मैसर्स जूम डवलपर्स द्वारा सही कार्य निष्पादन नहीं करने के कारण कार्यादेश निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह कार्य जिला ई–मित्र सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा नये सेवा प्रदाता/निजी सहभागी के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बिड वैल्यू अधिक होने के कारण भारत सरकार से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। सी.एस.सी परियोजना के वी.एल.ई. स्तर पर क्रियान्वयन के प्रबोधन हेतु एक विस्तृत वेब आधारित एप्लीकेशन www.cscmis.emitra.gov.in विकसित की गई है। सी.एस.सी. /ई–मित्र पोर्टल केन्द्रों पर लगभग 19 लाख ट्रांज़ेक्शन प्रति माह होते हैं।

- **ई–डिस्ट्रिक्ट –**

राष्ट्रीय प्रशासन योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाले नागरिक सेवाओं का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता के तहत प्रथम चरण में अजमेर एवं जोधपुर जिले में इसका क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष मैसर्स एच.पी.इण्डिया को कार्यादेश जारी किया गया है। परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रूपये 642.41 लाख स्वीकृत की गई है। पायलेट जिले जोधपुर और अजमेंर में माह अक्टूबर और जनवरी मे कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है तथा साइट सर्वे का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है । 2012 में परियोजना को क्रियाशील कर दिया जायेगा।

- **स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे –**

राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रिय पोर्टल के अनुरूप राज्य पोर्टल की स्थापना का भी प्रावधान है।

इस वर्ष इस योंजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स विप्रो को सेवा प्रदाता (System Integrator) नियुक्त किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जाति/ जन जाति/पिछडा वर्ग), उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग एवं जयपुर कलेक्ट्रेट का चयन किया गया है।

परियोजना के तहत नागरिको को उपरोक्त विभागों की 42 सेवायें सीएससी एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस योजना में "Rajasthan Public Service Delivery Gurantee Act 2011" के

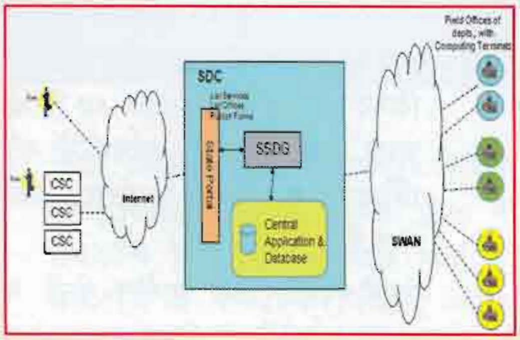

अंतर्गत ली गयी सेवायें भी शामिल की जा रही है। इसके साथ ही बजट घोषणा वर्ष 2011–12 की अनुपालना में विभिन्न जन–सेवायें, जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र, जन्म–मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायों तथा अन्य संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से **SSDG** परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जायेगी। यह परियोजना सितम्बर 2012 के अंत तक आरंभ की जायेगी।

- मानव संसाधन विकास
  - एनईजीपी परियोजना हेतु क्षमता निर्माण के लिये सरकार के विभिन्न स्तरों पर ई–गवर्नेन्स शुरूआत के लिऐ विशेषीकृत योग्यता का विकास करना प्रमुख उद्‌देश्य है। इन प्रशिक्षणों की सहायता से राज्य स्तरीय नीति निर्माण व निर्णय लेने वाले निकायों को ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं की डिजाइनिंग व क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 2011 से अब तक निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके है।

एन.ई.जी.पी. के अतिरिक्त प्रशिक्षण की महत्ता को पहचानते हुए राज्य सरकार के बजट से भी इस वर्ष कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जो निम्नानुसार हैं :

S.N.	Name of Training Program	Duration	Participants
1	Training on Dot Net	25th April to 26th July, 2011 (90 hours)	15
2	Training on Dot Net (90 hours)	16th August to 23rd September 2011 (90 hours)	15
3	Project Management	23rd - 27th January, 2012	25
4	e-Governance Project Lifecycle	06th – 10th February 2012	25
5	**Orientation training program for SeMT consutants**		
	Banglore	23-27 May,2011	3
	Ahemdabad	26-30 Sept 2011	2
	Hyderabad	21- 25 Feb 2012	2
6	e-Governance Training at Bangalore	3rd – 5th December 2011	40

- सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण– ई–गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। वर्ष 2010 अक्टूबर में राज्य सेवा के सात अधिकारियों को TAPMI, मनिपाल में सरकारी खर्चे पर एक वर्षीय e-GPX कार्यक्रम के लिये भेजा गया था। वर्ष 2011 में राज्य सेवा के 10 अधिकारियों को सरकारी खर्चे पर IIM, Indore में एक वर्षीय CPEG कार्यक्रम में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कई नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है –

S.N	Name of Training Program	Duration	Participants
1	Website Development	6th – 21st April 2011	25
2	National Convention on Good Governance and National Development at Managment Development Academy	9th-10th September 2011	10
3	Induction trainings at HCM RIPA		65

- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है। वर्ष 2011–12 में 18 राज्य अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्भरण किया गया है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। वर्ष 2011–12 में 7025 राज्य अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित चालू परियोजनाएं

- **आरोग्य ऑन लाइन–**

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु 10 दिसम्बर 2007 में राजकॉम्प, सी–डैक एवं सवाई मानसिंह अस्पताल के मध्य एक त्रिपक्षीय करार हुआ था जिसके तहत सवाई मानसिंह अस्पताल के कम्प्यूटराईजेशन के सभी कार्य पूर्ण किये गये थे। इससे आम जनता को काफी सुविधा है। विशेषकर indoor, outdoor मरीजों का पंजीयन, घर बैठे इंटरनेट द्वारा जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति तथा सेन्ट्रल लैब व Blood Bank का संपूर्ण प्रबंधन ।

इस परियोजना को सवाई मानसिंह मैडीकल कॉलेज जयपुर से संबद्ध अन्य सात अस्पतालों के कम्प्यूटराईजेशन के अलावा डा. एस. एन. मैडीकल कॉलेज जोधपुर एवं आर. एन. टी. मैडीकल कॉलेज उदयपुर में लागू करने के संबंध में इस वर्ष कार्य आरंभ किया गया। मैडीकल कॉलेज कोटा की study सी–डैक द्वारा पूर्ण कर ली गई है। जे.एल.एन मैडीकल कॉलेज अजमेर व सरदार पटेल मैडीकल कॉलेज बीकानेर व उससे संबद्ध अस्पतालों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु त्रिपक्षीय समझौता इसी वित्त वर्ष में होना सम्भावित है।

- **सैकलैन का विस्तार–**

राज्य सचिवालय में स्थापित सैकलैन का विस्तार करते हुए विगत दो वर्षो में पशु धन भवन, सामाजिक न्याय एवं

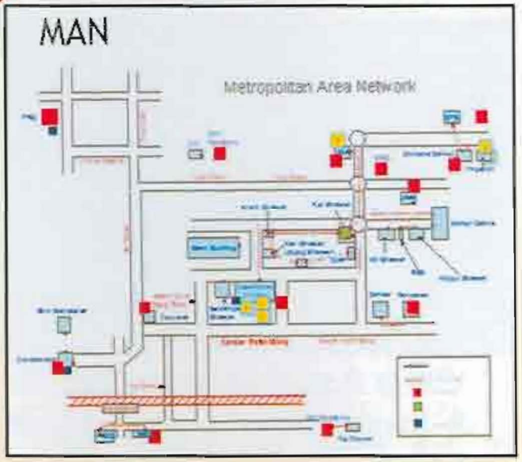

अधिकारिता भवन, स्वायत्त शासन भवन, निधी भवन, एस.एम.एस. अस्पताल, श्रम भवन, राज्य भण्डारण निगम भवन, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान पुलिस अकादमी को जोडा गया जिससे जयपुर मेट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क से जुडे भवनों की संख्या 44 हो गई है। इस नेटवर्क का विस्तार करके समस्त जिला कलेक्टर को वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा दी गई है।

इस वर्ष की योजना के तहत 350 कम्प्युटर, 35 प्रिन्टर, 88 मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर (MFP) एवं 146 आईपी फोन खरीद कर सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों, जिसमें पंचायती राज विभाग प्रमुख है, में उपलब्ध कराये जावेगें ।

- **स्टेट डेटा सेन्टर–**

वर्ष 2005 से संचालित स्टेट डेटा सेन्टर में स्थापित उपकरणों यथा सर्वर एवं स्टोरेज (SAN) की कार्यक्षमता बढाने हेतु पूर्व में स्थापित 42 सर्वर में मेमोरी (RAM) को पूर्व में उपलब्ध 2 से 8 जीबी से अधिकतम

सीमा (8 से 32 जीबी) तक बढा दिया गया है जिससे विभिन्न वेब साइट की कार्य क्षमता में सुधार हुआ है। SAN में 16 सर्वर को जोडने की क्षमता को बढा कर 32 सर्वर जोडने हेतु उच्च क्षमता वाला SAN Switch लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च क्षमता वाले 14 नये सर्वर एवं 80 टी.बी. (टेराबाईट) भण्डारण क्षमता वाले SAN मय आवश्यक सॉफ्टवेयर के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं जिनके शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। नये सर्वर के स्थापित होने के पश्चात डाटा सेन्टर में नवीनतम वर्जन के सॉफ्टवेयर के कलस्टर उपलब्ध हो जायेंगें जिससे विभिन्न विभागों की कई नयी वेब साइट्स को कार्यरत करने की सुविधा हो जायेगी। वर्तमान में स्टेट डेटा सेन्टर में 138 वेब साईट्स एवं एप्लीकेशन्स 66 सर्वर पर कार्यरत है। राज्य का ई–मेल सिस्टम भी स्टेट डाटा सेन्टर में ही सफलता पूर्वक कार्यरत है। इनके अतिरिक्त वाणिज्य कर विभाग में संचालित केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर हेतु आवश्यक उपकरण (सर्वर, स्टोरेज एवं नेटवर्क संबंधी उपकरण इत्यादि) भी स्टेट डेटा सेन्टर में सफलता पूर्वक कार्यरत है।

- **RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग) –**

आयोग की कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अन्तर्गत आयोग की मूल गतिविधियॉ यथा राज्य सेवा एवं अधिनस्थ राज्य सेवा भर्ती की प्रक्रिया तथा समस्त कार्यालय कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के दौरान आवेदन प्रपत्र जारी करने से लेकर पूर्ण किये गये आवेदन पत्र प्राप्त करना, आवश्यक योग्यतानुसार आवेदन पत्रों की छटनी करना, योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिये परीक्षा करवाने से लेकर परीणाम घोषित करने तक सभी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। कम्प्यूटरीकरण से समय और लागत की बचत होती है, आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी इन्टरनेट के जरिये आवेदन कर सकता है, आयोग के कार्य में पारदर्शिता संभंव हो पाई है। जहां एक ओर आयोग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का कार्य सरल हो गया है वहीं दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आयी है।

इसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के समस्त आवेदन पत्र सी.एस.सी. एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा अब तक लगभग 15.00 लाख आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन जमा कराये जा चुके है।

वर्तमान में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं हेतु ऑन

लाइन पंजीयन एवं कियोस्क के माध्यम से शुःल्क भरण की प्रक्रिया भी उपलब्ध करवायी जा रही है। शुःल्क भरण की प्रक्रिया हेतु बैंक भुगतान गेटवे से भी परियोजना का एकीकरण किया जायेगा।

- **e-Secretariat-**

प्रथम चरण में सचिवालय में टचस्क्रीन कियोस्क स्थापित किये गये है। साथ ही फाईल ट्रेकिंग एवं मोनिटरिंग सिस्टम को सचिवालय स्थित 5 विभागो में क्रियान्वित कर दिया गया है। आगामी चरणों के कार्य हेतु परियोजना का क्रियान्वयन **NIC** के माध्यम से करवाया जा रहा है जिस हेतु एन.आई.सी. से एमओयू हो गया है। साथ ही सचिवालय स्थित कॉन्फरेन्स रूम एवं कमेटी रूम में प्लास्मा डिस्प्ले लगाने के कार्यादेश दिये गये है जो इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है।

- **e-Procurement-**

राजकीय विभागों से विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं समयबद्धता से काम करने के उद्देश्य से, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राज्य में ई–प्रक्योरमेंट (ई–क्रय) तंत्र इस वर्ष स्थापित किया गया। प्रथमतः मुख्यतः जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन संसाधन विभाग की रूपये 50 लाख से अधिक की निविदाओं के लिए इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। 27 विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 1000 अधिकरियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । साथ ही लगभग 275 फर्मों कें 350 प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । ई–प्रक्योरमेंट (ई–क्रयतंत्र) के द्वारा राशि रूपये 2526.45 करोड रूपये के 12 विभागो के 488 टेण्डर प्रकाशित कर दिये गये है ।

- **I-FACTS – आई–फैक्टस (आई.टी. एनेबल्ड पूर्ण स्वचालित नागरिक आधारित पारदर्शी संस्थिति):–**

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरो पर अनेक जी 2 सी सेवाऐं प्रदान की जाती है एवं इन सेवाओं के संबंध में नागरिको से प्रतिक्रिया / मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई जिससें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार / संशोधन किया जा सके। आई–फैक्टस परियोजना के अंतर्गत स्वचालित प्रणाली स्थापित करने का प्रयास है जिससे टेलिफोन (मोबाईल टेलिफोन सहित) के माध्यम से नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना संभव हो सके।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं / नीतियों / कार्यकर्ताओं के संबंध में नागरिक / जन समितियों के विचार जानकर उन्हें शासन में सम्मलित करने के साथ–साथ आईवीआरएस तकनीक के माध्यम से एकीकृत आई.टी. समाधान हेतु प्रस्तावित योजनाओं को विभिन्न स्तर पर लागू करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से उनके विचार प्राप्त करना है।

आई–फैक्टस के क्रियान्वयन हेतु

राजकॉम्प द्वारा रूपये 30.00 लाख का कार्यादेश जारी कर दिया है। यह परियोजना जुलाई 2012 तक प्रारम्भ होने की संभावना है।

राज्य आयोजना मद से वित्त पोषित नवीन/अभिनव परियोजनाऐं

- **सुगम (एकल खिड़की) –**

जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों के गत वर्ष आयोजित सम्मेलन में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष उपखण्ड स्तर तक कम्प्यूट्रीकृत एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गई। सभी जिला कलैक्ट्रैट एवं तहसील मुख्यालयों पर यह सुविधा आरंभ की गई एवं विभिन्न सेवाऐं नागरिकों को सुगमता से निश्चित समय सीमा में उपलब्ध हो रही है। दिनांक 13.02.2012 तक प्राप्त 2657301 आवेदन में से 2552546 आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र –**

सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली

हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने की प्रणाली की भी शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 12 मई को की गई। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर से किये गये आवेदन के आधार पर जोधपुर से उनका डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। अन्य सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जायेगें। इस प्रकार के प्रमाण–पत्र लेने हेतु नागरिकों को ऑन लाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सेवा मई 2011 मे प्रारम्भ की गई तथा अब तक 1.50 लाख से अधिक प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ।

- **"राजस्थान लोक सेवाओं की अदायगी एवं सुनवाई के गारंटी अधिनियम–2011" के लिए आर.जी.डी.पी.एस. वेब–पोर्टल –**

राज्य की जनता को निश्चित् समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने, सुनवाई करने तथा उससे संसक्त तथा अनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए राजस्थान राज्य में दिनांक 14 नवम्बर 2011 से प्रभावी 'राजस्थान लोक सेवाओं की अदायगी एवं सुनवाई के गारंटी अधिनियम–2011' को अत्याधुनिक सूचना–प्रौद्योगिकी सम्बल प्रदान करने के लिए एक वेब–पोर्टल विकसित किया गया है।

आरजीडीपीएस वेब पोर्टल को मूल रूप से 'जी2सी' एवं 'जी2जी' श्रेणी के उपयोग कर्ताओं के लिये विकसित किया गया है। अधिनियम के अधीन 15 विभागों की समस्त 124 सेवाओं के लिये, राज्य की जनता द्वारा आवेदन किये जाने पर, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक छपी हुई अभिस्वीकृति/एक्नॉलेजमैन्ट आवेदक को दिये जाने का प्रावधान है जिसमें सेवा प्रदायगी की तयशुदा समय सीमा का उल्लेख भी स्वयमेव ही होगा, जो कि इस बात का प्रमाण है कि आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और आवेदक तयशुदा समय सेवा में सेवा प्राप्ति का अधिकारी है। पदाभिहित अधिकारी पोर्टल के माध्यम से, स्वचालित रूप से आवेदनों को प्राप्त/निष्पादित/ निरस्त कर सकता है। आरजीडीएस वेब पोर्टल पर एक बार आवेदन की प्रविष्टि हो जाने के उपरान्त, सेवा की प्रदायगी/आवेदन के निस्तारण तक की समयबद्ध प्रक्रिया की मॉनिटरिंग विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा सहजता से की जा सकती है।

इस अधिनियम के तहत आने वाले समस्त 15 विभागों के नोडल अधिकारी एवं आईटी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में यह एम.आई.एस. पोर्टल, अधिनियम के अधीन समस्त 15 विभागों में परीक्षणाधीन है जिनमें से 6 विभागों ने उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली –

राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करने का कार्य प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त के क्रम में नवम्बर 2011 में प्रारम्भ में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मे पायलेट क्रियान्वयन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मे सफल पायलेट क्रियान्वयन के अनुसार 16 जनवरी 2012 से शासन सचिवालय में लागू किया गया। वर्तमान में शासन सचिवालय में आठ टच स्क्रीन मशीनों की निम्नानुसार स्थापना कर दी गई है:–

क्रम संख्या	बिल्डिंग/ब्लॉक का नाम	मशीनों की संख्या
1	मुख्य भवन	3
2	फूड बिल्डिंग	1
3	एस.एस.ओ. बिल्डिंग	1
4	मुख्यमंत्री ब्लॉक	1
5	मंत्रालय भवन	1
6	विकास खण्ड	1

वर्तमान में लगभग 350 अधिकारियों के फिंगर प्रिन्ट लिये जा चुके है एवं शेष के फिंगर प्रिन्ट लिये जाने का कार्य प्रगति पर है। 1 अप्रेल 2012 से सम्पूर्ण सचिवालय में इसे लागू कर दिया जाऐगा।

UID (आधार) –

भारत सरकार की 'आधार' नामक परियोजना के अंतर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जायेगा

जोकि उनकी पहचान संख्या कहलायेगा। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा सकेगी। इस संख्या के आधार पर नागरिको की प्रमाणिकता ऑनलाईन जाँचना सम्भव हो सकेगा इस परियोजना हेतु राज्य के आयोजना विभाग को शीर्षस्थ विभाग नामित किया गया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पंजीयक नियुक्त किया गया है। इस वर्ष राज्य में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से समस्त राज्य के निवासियों का पंजीयन किया जा रहा है। जिलेवार सूचना निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	जिले का नाम	नामांकन
1	अजमेर	101074
2	चित्तौडगढ	77352
3	दौसा	103982
4	बीकानेर	161698
5	जयपुर	93090
6	भरतपुर	48587
7	बाडमेर	90332
8	झुन्झुनू	98174
	कुल योग	768289

दिनांक 15.02.2012 तक कुल नामांकित 768289 निवासियों में से 296760 प्रक्रियाधीन है एवं 283037 यू.आई.डी. तैयार हो चुके है। इस कार्यक्रम का अगलें वर्ष इन जिलों के साथ साथ अन्य जिलो में विस्तार किया जायेंगा।

❖❖❖

वर्ष 2011-12 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय/ तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रमुख परियोजनायें :-

कम संख्या	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	बैकएण्ड बजट द्वारा वर्ष 2011–12 में वित्तीय प्रावधान
1	सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	19.52 लाख	6.89 लाख
2	टोंक जिले की निवाई तहसील में अपना खाता परियोजना का क्रियान्वयन	36.50 लाख	31.93 लाख
3	ई–सुगम	325.00 लाख	280.00 लाख
4	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	180.00 लाख	61.77 लाख
5	ऑन लाईन मेनेजमेन्ट सिस्टम, खान एवं भू–विज्ञान विभा	332.60 लाख	20.54 लाख

भावी परियोजनाएं-

कम संख्या	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत
1	आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) विभाग का कम्प्यूटरीकरण	535.04 लाख
2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कम्प्यूटरीकरण	1301.00 लाख
3	पर्यटन विभाग की परियोजना "सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यटन को बढावा" हेतु वेब पोर्टल का विकास, मोबाईल सोल्यूशन, सोशल मिडिया ऑप्टमाइजेशन,फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी तथा वरचुअल ट्यूर	140.00 लाख
4	राज्य के 8 केन्द्रिय कारागारों के स्थापित कम्प्यूटरीकरण कार्य को आगे बढ़ाने, राज्य को 25 जिला कारागारों, एक जे.टी.आई. एवं 2 महिला कारागारों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिये आई.टी इनेबलमैन्ट ऑफ प्रिजन (जेल) परियोजना	722.00 लाख
5	आर्म्स लाईसेन्स मनेजमेन्ट सिस्टम जिला गंगानगर में पायलेट प्रोजेक्ट	60.00 लाख
6	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए "राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रबन्धन तंत्र" का वेब बेस कम्प्यूटरीकरण	1084.11 लाख
7	पुलिस विभाग के लिए अपराधी और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क तंत्र के लिए प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करना	25.00 लाख
8	कृषि विपणन बोर्ड के लिए "राजस्थान एकीकृत मण्डी प्रबन्धन तंत्र" का कम्प्यूटरीकरण	2883.00 लाख (प्रथम चरण हेतु रू 673.00 लाख)
9	राजस्थान राज्य सामरिक सांख्यिकीय योजना (RSSSP)	2427.00 लाख
10	जलभृत मानचित्र और गांव वार भूजल क्षमता और विकास के लिए रणनीति के मूल्यांकन के लिए जीआईएस आधारित डेटाबेस का विकास	390.00 लाख

4.

वर्ष 2011-12 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा माह फरवरी 2012 तक की प्रगति

(Rs. in Lakhs)

SN	Name of Project	Budget Provision			R.E.	Exp. Upto
		Committed	New	Total	2011-12	29.02.2012
A	**3454-02-(203) (01) [01] Hd.Qtr.**					
1	Salary	116.00	100.00	216.00	156.24	126.97
2	T.A.	0.05	0.00	0.05	0.05	0.04
3	Medical	0.50	0.00	0.50	1.75	0.48
4	O.E.	0.01	0.00	0.01	0.53	0.00
5	Grant in Aid (token)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
6	Maintenance and Repair					
	A-Common Facilities of New IT Building	5.00	0.00	5.00	4.00	2.55
	B-AMC for SDC	30.00	0.00	30.00	19.55	9.86
	C-AMC for SecLAN	105.00	0.00	105.00	100.00	0.42
	Sub Total (A+B+C)	**140.00**	**0.00**	**140.00**	**123.55**	**12.83**
7	Training & Seminar	163.00	0.00	163.00	133.00	72.86
8	Hiring of vehicles	3.25	0.00	3.25	3.25	2.75
9	Incentive (Awards for IT)	5.00	0.00	5.00	7.30	0.00
	IFMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Contribution in contributory pension scheme	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	Total Headquarter (1 to 10)	**427.83**	**100.00**	**527.83**	**425.67**	**215.93**
B	**3454—02-203-(01)[02] Distt.HQ.**					
1	Salary	120.00	43.50	163.50	182.53	130.82
2	T.A.	0.50	0.00	0.50	1.00	0.20
3	Medical	0.50	0.00	0.50	1.00	0.10
4	O.E.	1.00	0.00	1.00	1.00	0.05
5	Maintenance & Repair	25.00	0.00	25.00	9.56	2.00
6	Training & Seminar	50.00	0.00	50.00	21.28	0.00
	Total Distt HQ	**197.00**	**43.50**	**240.50**	**216.37**	**133.17**
C	**3454-02-203-(01) [03] UID Project**					
1	Salary	70.00	0.00	70.00	17.00	16.37
2	T.A.	1.00	0.00	1.00	0.25	0.08
3	Medical	1.00	0.00	1.00	0.30	0.16
4	O.E.	5.00	0.00	5.00	2.00	2.46
5	Special Services	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
6	Hiring of Vehicle	3.24	0.00	3.24	3.24	2.84
7	Contract Service	2.99	0.00	2.99	1.24	1.05
8	Computerization & Related Communication Exp.	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
9	Contribution in Contributory Pension Scheme	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
10	Miscellaneous Expenses	0.00	0.00	0.00	33.73	33.73
	Total (1 to 10)	**83.26**	**0.00**	**83.26**	**57.76**	**56.69**

SN	Name of Project	Budget Provision			R.E.	Exp. Upto
		Committed	New	Total	2011-12	29.02.2012
D	**3454-02-789-(01)[01]**					
1.	Training & Seminar	51.00	0.00	51.00	2.20	0.00
2.	Computerization and Related Communication Exp.					
	FMS of e-Sugam	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	e-Mitra	34.00	0.00	34.00	19.10	12.47
	Hiring of Consultancy Services & NAC Test	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00
	Development & Maintenance of Website	0.00	20.57	20.57	20.57	0.17
	FMS of Arogya Online	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00
	MPLS connectivity under Arogya Online	25.20	0.00	25.20	25.20	25.20
	Total (1 to 2)	116.20	66.57	182.77	73.07	37.84
E	**3454-02-796-(02)[01]**					
1	Training & Seminar	36.00	00.00	36.00	18.13	4.47
2	**Computerization and Related Communication Exp.**					
	FMS of e-Sugam	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00
	e-Mitra	24.00	0.00	24.00	11.71	7.67
	Hiring of Consultancy Services & NAC Test	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	Development & Maintenance of Website	0.00	14.52	14.52	14.52	0.03
	FMS of Arogya Online	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00
	MPLS connectivity under Arogya Online	22.51	0.00	22.51	22.51	22.51
	Total (1 to 2)	86.76	47.02	133.78	71.12	34.68
F	**5475-800-(03)-62**					
1	CMIS	35.00	20.00	55.00	40.00	0.00
2	Procurement of HW/SW for SDC	115.55	0.00	115.55	113.85	22.97
3	Mobile VSAT Van	38.30	0.00	38.30	2.00	1.82
4	Knowledge Bank	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	Total (1+4)	199.85	20.00	219.85	155.85	24.79
	Grand Total DoIT(A to F)	**1110.90**	**277.09**	**1387.99**	**999.84**	**503.10**
G	**3454-02-203-(01) [04] UID Project Under XIII Finance Commission**					
1	Miscellaneous Expenses	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	Incentive & Honorarium expenses	1896.14	0.00	1896.14	0.00	0.00
	Total (1 to 2)	**1896.15**	**0.00**	**1896.15**	**0.00**	**0.00**
H	**3454-02-789-(01)[02] UID Project Under XIII Finance Commission**					
1	Miscellaneous Expenses	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	Incentive & Honorarium expenses	462.97	0.00	462.97	0.00	0.00
3	**Total (1 to 2)**	**462.98**	**0.00**	**462.98**	**0.00**	**0.00**
I	**3454-02-796-(02)[02] UID Project Under XIII Finance Commission**					
1	Miscellaneous Expenses	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	Incentive & Honorarium expenses	338.86	0.00	338.86	0.00	0.00
	Total (1 to 2)	**338.87**	**0.00**	**338.87**	**0.00**	**0.00**
	Total (G+H+I)UID Project Under T.F.C.	**2698.00**	**0.00**	**2698.00**	**0.00**	**0.00**
J	**5475-800-(05)-62**					
1	SecLAN	105.00	148.00	253.00	247.00	58.37
2	e-Mitra	117.00	50.00	167.00	183.75	90.69
3	e-Procurement	1.00	49.00	50.00	30.00	1.80

SN	Name of Project	Budget Provision			R.E.	Exp. Upto
		Committed	New	Total	2011-12	29.02.2012
4	Backend Computerization of various Department					
	(A) IFMS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00
	(B) Arogya Online	544.29	0.00	544.29	544.29	544.29
	(C) e-Sugam	325.75	0.00	325.75	276.89	0.00
	(D) others	1000.00	178.20	1178.20	1069.05	39.45
	Sub Total Backend (A+B+C+D)	2195.04	178.20	2373.24	1890.23	583.74
5	IT Enablement of Secretariat	50.00	0.00	50.00	652.65	311.25
6	Development & Maintenance of Website	0.00	85.91	85.91	37.16	0.00
7	RSWAN Horizontal (State)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8	Innovative Projects	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
9	State Service Delivery Gateway	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
10	Hiring of Consultancy Services & NAC Test	0.00	106.50	106.50	55.57	5.50
11	RSWAN State Share (Horizontal/Vertical)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	Total 5475-800-(05) (1 to 11)	2468.04	617.65	3085.69	3096.36	1051.35
K	**5475-800(08)-[04]-62**					
1	e-Sanchar	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
L	**5475-800-(08)-[05]-62**					
1	IT Policy	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
M	**5475-800-(08)[06]-62**					
1	NEGP	1937.00	0.00	1937.00	0.00	0.00
N	**5475-800-(10)-62**					
1	IT City	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
O	**5475-800-(11) [1]-62**					
1	RGVK	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
P	**5475-190-(01)-[01]-73**					
1	Investment in RKCL	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
Q	**5475-190-(04)-73**					
1	Investment in RajCOMP Infosystem Ltd.	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
R	**5475-789-(01)-62**					
1	Backend Computerization-(a) Arogya Online	661.63	0.00	661.63	512.04	512.04
2	Backend Computerization - (b) Others	0.00	100.00	100.00	274.61	0.85
3	Procurement of Hardware/Software for SDC	300.00	200.00	500.00	492.78	65.26
4	SecLAN	0.00	100.00	100.00	71.00	0.00
	Total (1 to 4)	961.63	400.00	1361.63	1350.43	578.15
S	**5475-796-(01)-62**					
1	Backend Computerization -(a) Arogya Online	541.63	0.00	541.63	541.63	541.63
2	Backend Computerization -(b) Others	0.00	300.00	300.00	271.74	0.65
3	Procurement of Hardware/Software for SDC	100.00	0.00	100.00	102.87	15.27
4	e-Mitra	25.00	0.00	25.00	27.45	15.36
5	IT Enablement of Secretariat	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00
	Total (1 to 5)	696.63	300.00	996.63	973.69	602.91
T	**4059-80-051-(40)-17**					
1	IT Building	231.00	0.00	231.00	220.35	0.00
	Total IT	**6294.36**	**1317.65**	**7612.01**	**5640.83**	**2232.41**
	Grand Total	**10103.26**	**1594.74**	**11698.00**	**6640.67**	**2735.51**

5.

बजट भाषण वर्ष 2011-12 की नवीन योजनाओं का विवरण

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Para No.
Part No.
Sub Para No</th><th>Main Description</th><th>Action to be taken</th></tr>
<tr><td>1</td><td>157
0
0</td><td>वर्तमान समय में ई–गवर्नेन्स के बिना गुड गवर्नेन्स संभव नहीं है। अतः शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्य सरकार के योजना बजट का 3 प्रतिशत भाग, विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं कंप्यूटराईजेशन पर खर्च करने के निर्देश दिये थे। आगामी वर्ष इस हेतु लगभग 300 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए, इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।</td><td>इस हेतु वित्त विभाग ने वर्ष 2011–12 मे रूपये 254 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्य विभागो को किया गया आवंटन निम्नानुसार है:–

<table>
<tr><th>SN</th><th>Department</th><th>Allocated (Rs. in Lacs)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Agriculture</td><td>164.98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Commercial Taxes</td><td>887.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cottage & Small Industries</td><td>64.11</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Education</td><td>9223.28</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Forest & World Life</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Irrigation (Major)</td><td>62.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Irrigation (Minor)</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Registration & Stamps</td><td>118.50</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Revenue (Land)</td><td>966.86</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Medical & Health</td><td>1120.93</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Social Security Welfare</td><td>323.23</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Tourism</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Treasury</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Water Supply</td><td>3500.00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>DoIT&C (including Rs. 2600 Lacs for UID)</td><td>11698.00</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>28578.89</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>158
0
0</td><td>राज्य में इस वर्ष एक नवीन आधुनिक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए आगामी वर्ष ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लगभग 3 हजार 400 सरकारी कार्यालयों को राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़कर, 120 करोड़ रूपये की लागत से सूचना–तंत्र विकसित किया जायेगा।</td><td>राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हेतु माह अप्रैल 2011 में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। फर्म द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया है एवं माह मई 2012 तक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।</td></tr>
</table>

S. No.	Para No. Part No. Sub Para No	Main Description	Action to be taken
3	159 0 0	विभिन्न जन –सेवायें , जैसे जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण, लोक सेवा आयोग के आवेदन व प्रवेश पत्र प्राप्त करने, नगर निकायों तथा अन्य संस्थाओं के भुगतान इत्यादि की सुविधायें नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से, राजस्थान ऑन लाइन परियोजना लागू की जायेगी, ताकि ई–गवर्नेन्स का वास्तविक लाभ जनता को सुलभ हो	राजस्थान ऑन लाइन परियोजना के Concept Paper पर सैद्धान्तिक चर्चा कर ली गयी है एवं परियोजना पर कार्य प्रक्रियाधीन है।
4	160 0 0	इसके अतिरिक्त, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे योजनान्तर्गत 7 विभागों की 42 सेवाओं हेतु घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी	कार्यादेश जारी कर मैमर्स विप्रो के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर दिया गया है। माह सितम्बर 2012 तक परियोजना को क्रियाशील कर दिया जायेगा।
5	161 0 0	अजमेर और जोधपुर जिलों में पायलट आधार पर ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतगर्त जिला कलक्टर कार्यालय से जुड़ी हुई सेंवायें इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जायेंगी।	परियोजना हेतु मैसर्स एच.पी.इन्डिया को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। माह सितम्बर 2012 तक परियोजना को क्रियाशील कर दिया जायेगा।

❖❖❖

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 • फैक्स : 0141-2222011

http://www.rajasthan.gov.in,

http://www.doitc.rajasthan.gov.in